

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि.
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION LTD
उ. पू. क्षे. भा. प्रे. केंद्र, शिलांग
(मानव संसाधन विभाग)



संदर्भ : NERLDC/HR/238/1656 .

दि. : 24-10-2018

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER No. 53 /2018

“कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध,निवारण) पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013” की धारा 4 (1) में निहित शक्तियों के प्रयोग में तथा महिलाओं के यौन उत्पीड़न शिकायतों के निवारण के लिए उपक्षेभाप्रेकें की आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) निम्नलिखित नामों के साथ गठित है

In exercise of the powers contained in Section 4(1) of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Internal Complaints Committee (ICC) of NERLDC for the redressal of complaints of sexual harassment of women at workplace, is hereby constituted with the following officers:

SL	NAME	DESIGNATION	ROLE
1.	Ms. Hanna Debbarma	Dy. Manager	Presiding Officer & Convenor
2.	Shri V. Kaikhochin	Dy. GM	Member
3.	Shri V.F. Desouza	Asst. GM	Member
4.	Ms. Momai Dey	Sr. Engineer	Member
5.	Advocate Ms. Nakilin Giri Shylla	Member, Meghalaya State Commission for Women	External Member

“कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध,निवारण) पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013” पर समिति महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबन्धित शिकायतों को संबोधित करेंगे और अन्य प्रासंगिक कानून/अधिनियम/नियम की धारा 11(1) के अनुसार अपनी सिफारिशें जमा करेंगे ।

The Committee shall address all grievances relating to the Sexual harassment of women at the workplace in line with the 'Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013' and other relevant Law/Act/Rules and shall submit its recommendations as per Section 11(1) of the Act

आई.सी.सी. के प्रत्येक सदस्य की कार्यालय की अवधि इस कार्यालय आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष होगी । प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में आई सी सी नियमों के अधिनियम 14 की धारा 21 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार और जमा करेंगे ।

The term of office of the ICC shall be three years from the date of issue of this office order. The ICC shall in each calendar year prepare and submit an annual report as per Section 21 of the Act, read with Rule 14 of the Rules.

यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ जारी किया जाता है ।

This is issued with the approval of Competent Authority.

वी. एफ. डिसूजा / V.F Desouza
सहायक महाप्रबंधक (मा. सं.)/Asst. GM (HR)

वितरण / Distribution :-

विभागधक्ष SO-1/ SO-2/ SL/ MO/ BU[GHY] / FIN

समिति सदस्य..... / कार्यालय आदेश फाईल

का. नि. / म. प्र. NERLDC

CC--D[HR] /DGM[HR]DY.CVO